जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
93/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 93/2015 अनवानी 1–बागअली 2–गुलाबअली 3–कादर अली पुत्रगण नबाब खां जाति मुसलमान नि0 5ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर 4–लश्कर खां बनाम 1–तजेन्द्रसिंह 2–रूपेन्द्रजीतसिंह पित्र मनजीतसिंह जाति जटसिख निवासी 5ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर 3–हाकम सिंह 4–गुरमीत सिंह 5–पप्पुराम 6–उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह खुराना उपस्थित है। अप्रार्थी तजेन्द्र सिंह व रूपेन्द्रजीत सिंह के अभिभाषक श्री कुलवंत सिंह व अप्रार्थी हाकम सिंह सिंह के अभिभाषक श्री सुभाष मिढा उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 195/2006 अनवानी तजेन्द्र सिंह आदि बनाम बागअली आदि धारा 188, 92ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 195/2006 अनवानी तजेन्द्र सिंह आदि बनाम बागअली आदि धारा 188, 92ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

427
21/02/2017

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर